सत्यमेव जयते

सबका विश्वास
(विरासत विवाद समाधान)
योजना,2019
सेवा कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क के लिए
आओ करें एक नई शुरुआत!

सबका विश्वास
(विरासत विवाद समाधान)
योजना, 2019

करदाता सेवा महानिदेशालय
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एंव सीमा शुल्क बोर्ड

सबका विश्वास (विरासत विवाद समाधान) योजना, 2019

सत्यमेव जयते

सबका विश्वास
(विरासत विवाद समाधान)
योजना,2019
सेवा कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क के लिए
आओ करें एक नई शुरुआत!

उद्देश्य

- केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर के पूर्व विवादों के निस्तारण का एक ही बार में उपाय।
- गैर अनुपालक करदाताओं को स्वैच्छिक प्रकटन का अवसर प्रदान करना।

योजना के अंतर्गत आने वाले मामले

- 30.06.2019 की स्थिति अनुसार लंबित कारण बताओ नोटिस या किसी कारण बताओ नोटिस के प्रत्युत्तर में की गई लंबित अपील।
- बकाया राशि।
- कोई जांच, अन्वेषण अथवा लेखापरीक्षा जिसमे राशि 30.06.2019 या इससे पहले निर्धारित कर दी गई हो।
- स्वैच्छिक प्रकटन।

योजना के अंतर्गत नहीं आने वाले मामले

- केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की चौथी अनुसूची में उल्लिखित उत्पाद शुल्क योग्य माल से संबंधित मामले (इनमें तंबाकू और विनिर्दिष्ट पेट्रोल उत्पाद शामिल हैं)।
- वे मामले जिनमें करदाता केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 अथवा वित्त अधिनियम, 1994 के अंतर्गत दोषी सिद्ध हुआ हों।
- दोषपूर्ण रिफंड के मामले।
- निपटान आयोग के समक्ष लंबित मामले।

योजना के लाभ

- ब्याज, पेनल्टी व जुर्माने की पूर्ण माफी।
- अभियोजन से मुक्ति।
- अधिनिर्णयन अथवा अपील के लंबित मामले में, शुल्क की मांग में 70% की छूट यदि यह रू. 50 लाख या इससे कम हो और 50% की छूट यदि यह रू. 50 लाख से अधिक हो।
- अन्वेषण और लेखापरीक्षा के अधीन मामलों मे भी यही छूट जिनमें निहित शुल्क 30.06.2019 को या इससे पहले निर्धारित किया गया हो।
- बकाया राशि के मामलें में पुष्ट शुल्क राशि की 60% राशि की छूट दी जाएगी यदि यह राशि रू. 50 लाख या इससे कम हो और अन्य मामलों मे यह 40% होगी।
- स्वैच्छिक प्रकटन के मामलों में घोषणाकर्ता को घोषित किए गए शुल्क की पूरी राशि का भुगतान करना होगा।

योजना की अन्य विशेषताएं

- भुगतान किए जा चुके शुल्क के समायोजन की सुविधा।
- निपटान हेतु बकाया का भुगतान नकद में केवल इलेक्ट्रोनिक रूप से किया जाएगा और इसका लाभ बाद में इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप मे नहीं लिया जा सकेगा।
- प्रश्नगत कार्यवाही का पूर्ण व अंतिम निपटान। इसमें केवल यही अपवाद है कि देयता के स्वैच्छिक प्रकटन के मामलें में एक वर्ष की अवधि के भीतर गलत घोषणा के मामले की दोबारा जांच किए जाने का प्रावधान है।
- योजना के अधीन कार्यवाही को पूर्व व भविष्य की देयताओं के उदाहरण के रूप में नही माना जाएगा।
- अंतिम निर्णय की सूचना आवेदन के 60 दिनों के भीतर दी जाएगी।
- किसी असहमति की स्थिति में व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर दिए बिना कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया जाएगा।
- योजना के अंतर्गत कार्यवाही पूर्णतः स्वचालित होगी।

करदाता सेवा महानिदेशालय
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एंव सीमा शुल्क बोर्ड